परिशिष्ट - III
Appendix - III

ANNEXURE -16

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली Central Board of Secondary Education, Delhi

परीक्षा केन्द्र संख्या.....पर ली गई.....परीक्षा, 2000 के सहायक अधीक्षकों का बिल
Bill for Asstt. Supdts for .....Examination 2000 held at Centre No.....

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
परीक्षा की तारीख Date of Examination																								
बैठने वाले परीक्षार्थियों की सं. No. of candidates appeared in both the exams i.e X&XII																								
प्रश्न–पत्र का समय (घण्टों मे) Time of paper (in hours)																								
प्रयुक्त कमरों की संख्या No. of Rooms used																								
डयूटी पर नियुक्त सहायक अधीक्षकों की कुल संख्या Total No. of Asstt. Supdts. put on duty																								
Total No. of Extra Supdts. put on duty																								

परीक्षा का अधिवेशन की कुल संख्या Total No. of sessions	निरीक्षण प्रभार Invigilation Charges	यात्रा भत्ता Conveyance Charges	कुल जोड़ Grand Total
	Total Duties		

हस्ताक्षर
Sign.

1 रूपये की रसीदी टिकट

प्राप्ति रसीद
Acquittance Roll

क्रम संख्या सहायक अधीक्षक का नाम, पद तथा सरकारी पता
Sl. No. Name & Designation with official address of Asstt. Supdts.

जोड़ अग्रनीत /Total C/o.....

टिप्पणी : सहायक अधीक्षक की नियुक्ति पूर्णतः नियमानुसार की जानी चाहिए अर्थात प्रत्येक 20 परीक्षार्थियों के लिए एक सहायक अधीक्षक या एक कमरे मे दो सहायक अधीक्षक (यदि एक कमरे मे 20 से अधिक परीक्षार्थी बैठे हों)

Note : Appointment of Asstt. Supdts strictly be in accordance with the rules i.e. one Asstt. Supdt. for every 20 candidates or two Asstt. Supdts. In one room (in case more than 20 candidates are alloted in a room)

सहायक अधीक्षकों का पारिश्रमिक @ रू 40/– प्रति पारी Remuneration to Asstt. Supdt. @ Rs. 40/- per session

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	

कुल जोड़ / Grand Total.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सहायक अधीक्षकों का सहयोग पूर्ण रहा है।
Certified that the above persons worked to my entire satisfaction.

अधीक्षक के हस्ताक्षर/Signature of Superintendent

प्राइवेट सहायक अधीक्षकों/अपने ही विद्यालय के नियुक्त अध्यापको को स्थानीय भता नहीं दिया जायेगा।
Conveyance allowance is not admissible to Private Asstt. Supdts/Non Teachers or Teachers appointed from own school.

परीक्षा केन्द्र संख्या/Centre No.....